परिशिष्ट - 1

[5/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1624]

MPFO-4/2003

वन विभाग मध्यप्रदेश — तृतीय प्रति (वनमण्डल प्रति)

मध्यप्रदेश वन विभाग

पुस्तक क्रमांक .... 31 पृष्ठ क्रमांक 12

प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन

प्रतिवेदन दिनांक 24/2/2024

वन मण्डल सतना — परिक्षेत्र मैहर

बीट बरहनी — परिक्षेत्र सहायक वृत्त उपनगर

1.	अपराधी का नाम, पिता एवं पता 1. संस्था प्रमुख अल्ट्राटेक सीमेन्ट संस्थान 2. सरलानगर मैहर जिला मैहर 3.
2.	वन अपराध का प्रकार :— भारतीय वन अधिनियम अवैध कटाई/परिवहन/अतिक्रमण/ 1927 की धारा 33 उत्खनन/शिकार/चराई/आग लगाना/ (1) ग सीमा चिन्ह बदलना/अन्य
3.	वन अपराध घटित/संज्ञान होने का स्थल :— P 555 वनभूमि PWD रोड के किनारे
4.	वन अपराध घटित होने की तिथि/ अनुमानित अवधि :— लगभग 40 वर्ष पूर्व से
5.	जप्त शुदा वनोपज का संक्षिप्त विवरण :— अवैध रूप से निर्माणाधीन अवैध कालेज हास्पीटल बाजार कालोनी बाउंड्री आदि बनाकर अतिक्रमण रकबा 27.0 हेक्टर
6.	गवाहों के नाम एवं पता :— सुशील कुमार दुबे पिता रामपती दुबे सरलानगर (1) देवेन्द्र पिता दशरथ सिंह [illegible]
7.	वन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पद : [signature] (क्षेत्र) चन्द्र मिश्र
8.	घटना की संक्षिप्त विवरण :— संस्थान द्वारा अवैध रूप से वनभूमि में भवन कालेज हास्पीटल कालोनी रोड बाउंड्रीवाल बाजार अतिक्रमण किया गया जिसकी कार्यवाही की गई
9.	परिक्षेत्र वन अपराध पंजी का अनुक्रमांक एवं दिनांक :

[signature]
अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

Sec forest

परिशिष्ट - II

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक F 1/1/19/0009/2024-Sec-4-10 भोपाल, दिनांक 31 मई, 2024

प्रति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 912 द्वारा श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, विधानसभा सत्र फरवरी-2024 (मेसर्स मैहर सीमेंट/अल्ट्राटेक मैहर सीमेंट वर्क्स द्वारा वनमण्डल सतना के वन कक्ष क्रमांक पी-555 के रकबा 27.9 हे. वनभूमि में कराये गये निर्माण कार्यों बावत।)

---000---

वन मण्डल सतना के वन परिक्षेत्र मैहर के अंतर्गत मैहर सीमेंट औद्योगिक संस्था हेतु 193.1867 हेक्टेयर वन भूमि वर्ष 1975 में 99 वर्ष की अवधि के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक संस्था को स्वीकृत की गई है। संस्था द्वारा स्वीकृत भूखण्ड सीमा से बाहर वनभूमि के वन कक्ष पी-555 में रकबा 27.9 हेक्टेयर अर्थात् लगभग 70 एकड़ में संस्था द्वारा कॉलोनी, कॉलेज, आवासीय कॉलोनी, हॉस्पीटल, बाजार आदि का निर्माण कर वन भूमि अतिक्रमण किया है। प्रकरण में दिनांक 24.02.2024 को वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जबकि अतिक्रमण कर अवैध निर्माण वर्ष 2002 से किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। इस अतिक्रमण के संबंध में जिले में पदस्थ अधिकारियों द्वारा तत्समय किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण एवं वन अपराधों की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही नहीं कर शासन निर्देशों की अवहेलना की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल भेजकर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रस्ताव विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

Mail forwarded to AI.cu.

PCCF (Prot)/APCCF LM

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

SR. P.A. TO P.C.C.F. & HoFF
No. 3989
Dt. 03-6-24
MADHYA PRADESH, BHOPAL

3369
5/6/2024

Letter file2024

परिशिष्ट-2

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नंबर–2, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212, 2524161, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / वि.स. / फरवरी 2024 / 10–10 / 1991 भोपाल, दिनांक 11 .6.24

प्रति,

समय–सीमा
1371

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल सतना,
म.प्र.

विषयः–वन भूमि एवं कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी। संशोधित विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 912 श्री श्रीकांत चतुर्वेदी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक / वि.स. / फरवरी 2024 / 10–10 / 467 दिनांक 09.02.24

––00––

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 912 में मैहर सीमेन्ट (अल्ट्राटेक मैहर सीमेन्ट वर्क्स) द्वारा स्वीकृत भूखण्ड सीमा के अतिरिक्त वन भूमि में किये गये अवैध निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इस संबंध में पुनः म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र कमांक एफ / 1 / 1 / 19 / 0009 / 2024–सेव –4–10 दिनांक 31.05.24 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(डॉ. दिलीप कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

पृ. कमांक / वि.स. / फरवरी 2024 / 10–10 / 1992 भोपाल, दिनांक 11 .6.24

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, रीवा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

14D:\Hemant\office letter\Office Letter-2024\vs-Feb-24\Gen-vs-Feb-24.docx